राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

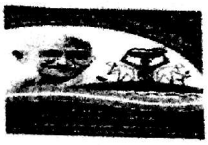

क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2018/00732

जयपुर, दिनांक 24 SEP 2018

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राज.
समस्त ।

विषयः–न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 की पालना के संबंध में।

प्रसंगः– आयुक्त विशेष योग्यजन राजस्थान के पत्र कमांक 1530 दिनांक 03.08.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा दिनांक 16.03.2018 को निर्णय पारित कर प्रार्थी श्री रामलाल जाट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वीकार करते हुये निर्णय दिया है कि समस्त जिला परिषदों में पूर्व में की गई भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में प्रदर्शित पदों के मुताबिक विशेष योग्यजनों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावें। उक्त निर्णय के संबंध में न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन को विभागीय पत्र दिनांक 30.05.2018 के द्वारा, संविदा भर्ती नियत समय के लिये होने तथा आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध न होने के दशा में उपलब्ध अन्य पात्र सामान्य अभ्यार्थीयों से भरे जाने के निर्देशों से अवगत कराते हुये, निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने हेतु निवेदन किया गया था।

विभागीय पत्र के संबंध में प्रार्थी रामजीलाल ने न्यायालय को सूचित किया है कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की सभी जिला मुख्यालयों द्वारा पालना की गई है, किन्तु पाली, बाडमेर एव झालावाड जिले में पालना नहीं की गई है। इस पर न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा इन तीन जिलों के प्रभारियों को न्यायालय द्वारा जारी निर्णय की पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.3.2018 एवं पत्र दिनांक 3.8.2018 के संबंध में वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति से सात दिवस में विभाग को आवश्यक रूप से अवगत कराने का श्रम करें, जिससे की माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति की जानकारी दी जा सकें। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.3.2018 एवं पत्र दिनांक 3.8.2018 की प्रति संलग्न हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.निजी सचिव माननीय आयुक्त विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, जी–3/1 अम्बेडकर भवन (विस्तार) होटल राजमल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर।
2.अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
3.रक्षित पत्रावली

परियोजना अधिकारी, ईजीएस

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, विशेष योग्यजन भवन, होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर

क्रमांक: एफ1 ( ) IDA/आयु वियो जन/18/1530 दिनांक – 03.08.2018

(1) अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
ई.जी.एस पंचायती राज विभाग मनरेगा,
शासन सचिवालय,
जयपुर राजस्थान।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
पाली राजस्थान।

विषयः– निर्णय की पालना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2018 को निर्णय पारित कर श्री रामजीलाल जाट की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ई.जी.एस पंचायतीराज विभाग (मनरेगा) जयपुर को यह निर्देश किया गया था कि समस्त जिला परिषदों को निर्देश प्रदान करावे की पूर्व में की गई भर्ती में विज्ञप्ति में प्रदर्शित पदो के मुताबिक विशेष योग्यजनों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावे साथ ही वर्तमान में की जा रही भर्तियों और भविष्य में की जाने वाली भर्तियों में विज्ञप्ति में दिखाई गई रिक्तयों के विरुद्व नियमानुसार विशेष योगयजन का आरक्षण सुनिश्चित किया जावे और इनकी श्रेणी के अनुसार बी.एल एवं एच.आई श्रेणी के अभ्यर्थी नही मिलने पर एल. डी.सी.पी के अभ्यर्थियों से भरा जावे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। इस क्रम में आपके विभाग द्वारा इस न्यायालय को प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है जिसे प्रार्थी द्वारा अस्वीकार करते हुये प्रार्थी ने सूचित किया है कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की सभी जिला मुख्यालय द्वारा पालना की गई किन्तु पाली, बाडमेर, झालावाड जिलें में पालना नहीं की गई।

अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तीनों जिलों के प्रभारियों को न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्णय की पालना सुनिचित करावे।

भवदीय

आयुक्त विशेष योग्यजन
राजस्थान

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

P. (F) 17
6/8/18
Sh. O P Mathur
08/8/2018

Desktop/My Computer/D/Nitesh 23-03-2018

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर

क्रमांक एफ1 ( ) IDA/आयु.वियो.जन/18/3624-3657 दिनांक 16.03.2018

निर्णय

प्रार्थी श्री रामजी लाल जाट ने समस्त जिला परिषदों द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक J.T.A पद पर नियमानुसार आरक्षण तथा रोस्टर 1,34,67 पूर्व पालना नही करने के क्रम में न्यायालय को पूर्व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जिसमे क्रम में न्यायालय द्वारा पत्र प्रेषित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त जिला परिषदों को कुल पदो के अनुसार रिक्त पदों को भरने तथा सभी जिला परिषदों में विशेष योग्यजनों की क्रमवार सूची मंगवाते हुये रोस्टर नियम 1,34,67 के अनुसार आरक्षण दिलवाये जाने तथा बी.एल एवं एच.आई श्रेणी के अभ्यर्थी नही मिलने पर एल.डी.सी.पी के पदों से भरने हेतु निर्देशित किये गये किन्तु प्रार्थी श्री रामजी लाल जाट ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण के सम्बंध में स्वविवेक से संज्ञान लिया जाकर कनिष्ठ तकनीकी सहायक J.T.A भर्ती में निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 36, 37 व रोस्टर प्रणाली का लाभ दिलवाने हेतु अनुरोध किया है।

अत न्यायालय द्वारा प्रार्थी श्री रामजी लाल जाट की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अति0 आयुक्त (प्रथम) ई.जी.एस पंचायतीराज विभाग (मनरेगा) शासन सचिवालय जयपुर ने क्रमांक एफ 10 (6) ग्रावि/नरेगा/जेटिए/2010 पार्ट–1/74144/00477 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को निर्देशित किया गया है कि आरक्षण उन्ही पदों पर लागू होना चाहिए जितने पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है न कि योजनान्तर्गत स्वीकृत पदो पर संविदा भर्ती नियत समय के लिए ही होती है तथा सभी पदों को यथाशीध्र भरना प्रोजक्ट की सफलता के लिए बहुत जरुरी होता है।

Scanned by CamScanner

इसमें किसी भी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हे उपलब्ध अन्य (सामान्य) पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। न्यायालय द्वारा प्रार्थी श्री रामजीलाल जाट की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ई.जी.एस पंचायतीराज विभाग (मनरेगा) जयपुर को यह निर्देश किय जाता है कि समस्त जिला परिषदों को निर्देश प्रदान करावे की पूर्व में की गई भर्ती में विज्ञप्ति में प्रदर्शित पदो के मुताबिक विशेष योग्यजनों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावे साथ ही वर्तमान में की जा रही भर्तियों और भविष्य में की जाने वाली भर्तियों में विज्ञप्ति में दिखाई गई रिक्तयों के विरुद्ध नियमानुसार विशेष योगयजन का आरक्षण सुनिश्चित किया जावे और इनकी श्रेणी के अनुसार बी.एल एवं एच.आई श्रेणी के अभ्यर्थी नही मिलने पर एल.डी.सी.पी के अभ्यर्थियों से भरा जावे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जावे।

भवदीय

आयुक्त विशेष योग्यजन
राजस्थान

निर्णय दिनांक - 16.3.2018

Scanned by CamScanner